

राजस्थान सरकार



## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 582 जयपुर/2007-08

यह प्रमाणित किया जाता है कि ई. ई. एच. चेरिटेबल  
सोसायटी जिला जयपुर

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज  
दिनांक 20 माह नवम्बर सन दो हजार सोल  
को जयपुर में किया गया।



[Signature]  
रजिस्ट्रार संस्थाएं  
रजिस्ट्रार संस्थाएं

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 2374969 2751352

2751417